कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर, (छ0ग0)

Ph.No. :- (O)07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E_Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0 / मा.चि. / न0क्र0–89 / 2019 967 अम्बिकापुर, दिनांक 14/6/19

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध)
अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

विषय :– **Diversion of Forest land for non-forest Purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Amarpur to Chirmiri Road Widening & Upgrading area - 10.469 ha.-regarding.**

पंजीयन क्रमांक–FP/CG/ROAD/8090/2014

संदर्भ :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्र. / भू–प्रबंध / विविध / 115–705 / 757 दिनांक 12.03.2018
2. वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल का पत्र क्र0 / मा.चि. / 716 दि. 22.05.2019

––00––

विषयांकित वनभमि व्यपवर्तन प्रकरण में आपकी ओर पूर्व प्रेषित व्यपवर्तन प्रस्ताव तहत् आपके संदर्भित पत्र–1 द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण कर निराकरण प्रतिवेदन वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल के संदर्भित पत्र–2 द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार है :–

➢ **आपत्ति क्रमांक–1 के अनुक्रम में प्रतिवेदन है कि –**

1. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कलेक्टर कोरिया के पृ.क्र. / 7172 दिनांक 29.06.2018 द्वारा ग्राम ढोढ़ीबहरा, तहसील बैकुण्ठपुर खसरा क्रमांक 185 रकबा 14.400 हे. भूमि उपलब्ध कराते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
2. बिन्दु क्रमांक–1 में उक्त वर्णित 14.400 हे. क्षेत्र में से उपयुक्त समतुल्य भूमि 10.469 का चयन कर DGPS सर्वे का कार्य पूर्ण किया गया। सुलभ संदर्भ हेतु रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।
3. उक्त चयनित भूमि का स्थल निरीक्षण राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई। उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. उक्त वर्णित उपयुक्त भूमि का सिंचित क्षतिपूर्ति 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना तैयार कर संलग्न है।
5. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि (समतुल्य राजस्व भूमि 10.469 हे.) का अधिसूचना प्रारूप निर्धारित प्रपत्र में हिन्दी एवं अंग्रेजी में तैयार कर संलग्न है।

➢ **आपत्ति क्रमांक–2 के अनुक्रम में प्रतिवेदन है कि –**

1. आपत्ति क्रमांक–2 के अनुक्रम में प्रतिवेदन है कि Form-A Part-II के कॉलम नं. 4 (II) में आनलाईन में विदोहन होने वाले वृक्षों की संख्या 464 दर्ज होने के कारण यह है कि विदोहित होने वाले कुल वृक्षों में गर्थक्लास 21–30 के वृक्ष भी शामिल है, जबकि उक्त आनलाईन प्रपत्र में गर्थक्लास 31–40 से ऊपर तक के वृक्षों के कॉलम निहित होने से उक्त अंतर सदृश्य है।
2. गर्थक्लास 21–30 से.मी. के 95 वृक्ष है, जिनका हार्डकॉपी में वृक्षों के गणना पत्रक में वर्णित है। अवलोकन करने की कृपा करें।
3. गर्थक्लास 31–40 से.मी. से अधिक के कूल वृक्षों की संख्या 467 होना चाहिए था, किन्तु लिपिकीय त्रुटि के कारण 464 वृक्ष बताए गए थे, जिसे सुधार कर पुनरीक्षित सही जानकारी तैयार कर ऑनलाईन प्रपत्र एवं हार्डकॉपी सुधार किया गया है।

अतः वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल के संदर्भित पत्र मय व्यपवर्तन प्रस्ताव 04 प्रतियों में उपरोक्तानुसार निराकरण उपरांत अनुशंसा सहित संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :–1. संदर्भित पत्र'–1 मय सहपत्र (व्यपवर्तन प्रस्ताव 04 प्रतियों में)
2. कलेक्टर जिला–कोरिया का अनापत्ति प्रमाण पत्र (05 प्रति)
3. संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (05 प्रति)
4. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट (05 प्रति)
5. उपयुक्तता प्रमाण पत्र (05 प्रति)
6. अधिसूचना प्रारूप (05 प्रति)
7. Form-A Part-II के कॉलम नं.–4(2) में ऑनलाईन प्रपत्र की पुनरीक्षित जानकारी

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

पृ0क्र0 / मा.चि. / न0क्र0– 89 / 2019 968 **अम्बिकापुर, दिनांक** 14/6/19
प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्य पालन अभियंता लोक निर्माण संभाग कोरिया, मनेन्द्रगढ़, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर